

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/24/4321

दिनांक: 19/10/24


आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 14.08.2024 द्वारा श्री जितेन्द्र आहरी पार्षद वार्ड संख्या 12 को नगर पालिका कुशलगढ के अध्यक्ष पद के कार्यभार हेतु आगामी 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये अधिकृत किया गया था।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) (iv) (क) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जितेन्द्र आहरी पार्षद वार्ड संख्या 12 को नगर पालिका कुशलगढ के अध्यक्ष पद का कार्यभार आगामी 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिये अध्यक्ष के पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(कुमार पाल गौतम)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.8 (ड)(का.आ.)/डीएलबी/22/4322-4337
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक: 19/10/24

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महो0, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर/जिला कलक्टर, बांसवाडा।
5. उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा।
6. निदेशक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6(क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
7. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय, राज0 जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक (सतर्कता) निदेशालय।
9. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर।
10. श्री जितेन्द्र आहरी, नगर पालिका कुशलगढ बांसवाडा।
11. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका कुशलगढ बांसवाडा।
12. आई.टी. सैल निदेशालय को अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।



(लेखराज जाग्रत)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी